



दस्तावेज- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 4993 / 05/76/एक/2015-16
सेवा में,

दिनांक : 31 मार्च 2016

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रायबरेली।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0917000102014168	IFSC Code PUNB30091700	134.892

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन बजट	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रायबरेली	वार्ड नं० 12 सैयद राजन मे शमीम के घर से कब्रिस्तान की पुलिया तक नाली निर्माण कार्य।	9.140
2	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रायबरेली	वार्ड नं० 12 मो० बड़ा खतराना में निसार अहमद के घर से जिलानी के घर तक एवं शिखा के घर से शमीम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	5.093
3	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रायबरेली	वार्ड नं० 12 मो० बड़ा खतराना में गुड्डू के मकान से मेराज अहमद खॉ के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.840
4	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रायबरेली	वार्ड नं० 12 मो० बड़ा खतराना में चुन्नन खॉ के घर से बन्ने के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं एक तरफ नाली निर्माण कार्य।	1.193
5	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० रायबरेली	वार्ड नं० 12 मो० बड़ा खतराना में सुन्दर के घर से मकसूद के घर होते हुये कासिम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.439
6	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० ऊँचाहार	वार्ड नं० 6 भितरी गाँव (ऊँचाहार) में हैदर मेंहदी के मकान से समीर अंसारी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.091
7	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० ऊँचाहार	वार्ड नं० 6 भितरी गाँव (ऊँचाहार) में लल्लन के मकान से लेनियात फातिमा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.998
8	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० ऊँचाहार	वार्ड नं० 6 भितरी गाँव (ऊँचाहार) में किशमतुन निशा के मकान से लाला कुरैशी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.290
9	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० ऊँचाहार	वार्ड नं० 6 भितरी गाँव (ऊँचाहार) में रालगानी के मकान से नूर मियाँ मरिजद घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	2.803



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० ऊँचाहार	वार्ड नं० 6 भितरी गाँव (ऊँचाहार) में मुन्ना सलमानी के मकान से अजहर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.347
11	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वार्ड सं० 04 पूरे काजी पूर्वी में अनवर के मकान से यूनस के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.749
12	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वार्ड सं० 04 पूरे काजी पूर्वी में सलोन से जायस रोड पर शकील के मकान से हरिशंकर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.841
13	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वार्ड सं० 2/5, राम सागर/कटरा बाजार में इरशाद पोस्ट मैन के मकान से रामसागर तालाब के पारा ट्रान्सफॉर्मर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.749
14	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वार्ड सं० 07 जिल्ला बाजार में नूरानी मरिजद से शफीक के आरा मशीन होते हुये सलोन जायस मार्ग तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.877
15	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० परशदेपुर	वार्ड सं० 07 जिल्ला बाजार में सलोन से जायस रोड पर हबीब के पास मकान से अयोध्या के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.841
16	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 03 शेखवाड़ा में छोटी मजार से नईमुल अन्सारी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.847
17	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 03 शेखवाड़ा में सलीम अन्सारी से गंग नहर पुल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.814
18	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 03 शेखवाड़ा में मज्जन के घर से वब्बन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.398
19	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 03 शेखवाड़ा में अनवरी के घर से राशिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.995
20	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 03 शेखवाड़ा में अलीबक्स के घर से राशिद खान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.353
21	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 03 शेखवाड़ा में मस्जिद से अग्रत के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.193
22	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 03 शेखवाड़ा में सकील अन्सारी से इण्टरलाकिंग रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.948
23	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 04 चौहट्टा में डलमऊ रायबरेली रोड से मजार तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.222
24	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 04 चौहट्टा में मुर्तजा के घर से हमिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.921
25	रायबरेली	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०प० डलमऊ	वार्ड नं० 04 चौहट्टा में बाबी के घर से कर्बला तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.910
	योग				134.892

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शारानादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दश में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात् ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तापुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झुड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की रज्रोत पर कटीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष गौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक